डाक-व्यय को पूर्व-अदायगों के विना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भू./04 भोपाल-03-05.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108-भोपाल/03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 मार्च 2004-फाल्गुन 14, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2004

क्र. 927-73-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17 फरवरी, 2004 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **एम. पी. नेमा,** अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक र सन् २००४.

मध्यप्रदेश श्री गणपित मंदिर खजराना (इन्दौर) अधिनियम, २००३.

विषय-सूची

धाराएं :

पहला अध्याय-प्रारंभिक

- १. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
- २. इस अधिनियम का कतिपय अधिनियमों पर अध्यारोही प्रभाव होगा.
- ३. परिभाषाएं.

दूसरा अध्याय—सम्पत्ति का निहित होना तथा समिति का गठन:

- ४. सम्पत्ति का निहित होना.
- ५. प्रशासन समिति में निहित होगा.
- ६. समिति का गठन.
- ७. सदस्यों की पदावधि, उनका त्यागपत्र तथा उनका हटाया जाना.

•	•
٠. ٠٠	रिक्तियों का भरा जानाः
٩.	समिति के सम्मिलन
•	रिक्ति आदि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.
. १०.	समिति के कर्तव्य.
. ११.	
१२. ं	मंदिर की सम्पत्तियों का अन्य सक्रामण.
१३.	्र उधार लेने की शक्ति.
૧૪ .	प्रशासनिक रिपोर्ट
.84.	शक्तियों का प्रत्यायोजन
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
•	– तीसरा अध्यायप्रशासक तथा स्थापना.
٠	प्रशासक की नियुक्ति
· १६.	पदों का मृजन तथा-अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति.
१७.	पदा की मुजन तथा-आधकारिया और कमचारिया का गिनुनिय
१८.	पुजारियों आदि का नियंत्रण तथा उनकी नियुक्ति
१९.	कलक्टर/प्रशासक के आदेश के विरुद्ध अपील
२०	कलक्टर की आपात शक्तियां
•	
	चौथा अध्याय—मंदिर कोष, बजट, लेखे तथा संपरीक्षा
- २१	मंदिर कोप.
	वजट.
, २२. . २३.	ें लेखे.
28	संपरीक्षा.
!	
	पांचवां अध्याय—नियंत्रण
રૂપ.	जानकारी तथा लेखे मंगाने तथा निदेश देने की राज्य सरकार या आयुक्त की शक्ति.
२६.	िनरीक्षण. -
<u> </u>	उठवां अध्याय—मंदिर की भूमि, उसके भवनों या अन्य संपत्ति पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा करना.
• • •	
२७	मंदिर की भूमि या ठसके भवनों पर व्यक्तियों द्वारा अप्राधिकृत कव्जा.
	ुभारा २७ के अधीन तहसीलदार के आदेशों के विरुद्ध अपील.
, i	
	सातवां अध्याय—प्रकीर्ण.
20	a. ·
₹९.	े मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना.
Зó.	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्यन्धन, भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा.
₹. 3¢.	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तीर पर वसूली योग्य होगा. सिंदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण.
३० ३१ ३२	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्याधन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे.
₹. 3¢.	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन.
३० ३१ ३२	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुजिसियां मंजूर करने की शक्ति:
36. 38. 33.	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन.
30 38 33 38 7	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुज्ञित्तयां मंजूर करने की शक्तिः अनुज्ञितियां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति.
36 38 38 38 38 38 38	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुजिसियां मंजूर करने की शक्तिः अनुजिसियां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति. असील.
30 38 33 38 7	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुज्ञित्तयां मंजूर करने की शक्तिः अनुज्ञित्तयां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति. अपील. मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी.
36 38 38 38 38 38 38	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुजिसियां मंजूर करने की शक्तिः अनुजिसियां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति. असील.
30 32 33 34 34 36	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुज्ञित्तयां मंजूर करने की शक्ति. अनुज्ञित्तयां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति. अपील. मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी. आठवां अध्याय—अपराध.
30 38 38 38 38 38 38 38 38	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुज्ञित्तयां मंजूर करने की शक्तिः अनुज्ञित्तयां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति. अपील. मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी. आठवां अध्याय—अपराध.
30 32 33 34 34 36	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुज्ञित्तयां मंजूर करने की शक्तिः अनुज्ञित्तयां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति. अपील. मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी. आठवां अध्याय—अपराध. अपराध. अपराध
30 38 38 38 38 38 38 38 38	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुजितियां मंजूर करने की शक्ति: अनुजितियां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति. अपील. मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी. आठवां अध्याय—अपराध. अपराध का संज्ञान. अपराध का प्रशमन.
36. 38. 38. 38. 38. 38. 39.	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुज्ञित्तयां मंजूर करने की शक्तिः अनुज्ञित्तयां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति. अपील. मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी. आठवां अध्याय—अपराध. अपराध. अपराध
30 32 34 34 36 36 36 36 36 36	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपवन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-रांजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुजित्तयां मंजूर करने की शक्ति: अनुजित्तयां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति. अपील. मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी. आठवां अध्याय—अपराध. अपराध. अपराध का संज्ञान. अपराधों का संज्ञान. अपराधों का प्रशमन. जुमाने की रकम मंदिर—कोष में जमा की जायगी.
30 32 34 34 36 36 36 36 36 36	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुजितियां मंजूर करने की शक्ति: अनुजितियां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति. अपील. मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी. आठवां अध्याय—अपराध. अपराध का संज्ञान. अपराध का प्रशमन.
\$6. \$6. \$7. \$8. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपवन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-रांजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुउतियां मंजूर करने की शक्ति: अनुउतियां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति. अपील. मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी. आठवां अध्याय—अपराध. अपराधं का संज्ञान. अपराधं का प्रशमन. जुमीने की रकम मंदिर—कोष में जमा की जायगी. नौवां अध्याय—नियम
\$4. \$6. \$6. \$3. \$4. \$3. \$4. \$3. \$4. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपवन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुज्ञितियां मंजूर करने की शिक्तः अनुज्ञितियां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शिक्त. अपील. मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी. आठवां अध्याय—अपराध. अपराधों का संज्ञान. अपराधों का संज्ञान. अपराधों का प्रशमन. जुमीने की रकम मंदिर—कोष में जमा की जायगी. नौवां अध्याय—नियम नियम बनाने की राज्य सरकार की शिक्त.
\$6. \$2. \$3. \$4. \$6. \$6. \$6. \$7. \$7. \$7. \$7. \$7. \$7. \$7. \$7. \$7. \$7	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपयन्थों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुज्ञित्यां मंजूर करने की शक्ति: अनुज्ञित्यां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति. अपील. मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी. आठवां अध्याय—अपराध. अपराध. अपराधें का संज्ञान. अपराधों का प्रशमन. जुमीने की रकम मंदिर—कोष में जमा की जायगी. नौवां अध्याय—नियम नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति. उपविधियां बनाने की समिति की शक्ति.
\$4. \$6. \$6. \$3. \$4. \$3. \$4. \$3. \$4. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6. \$6	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपवन्धों का लागू न होना. मंदिर को शोध्य धन, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण. अधिसूचनाएं, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे. भूमि का अर्जन. अनुज्ञितियां मंजूर करने की शिक्तः अनुज्ञितियां रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शिक्त. अपील. मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी. आठवां अध्याय—अपराध. अपराधों का संज्ञान. अपराधों का संज्ञान. अपराधों का प्रशमन. जुमीने की रकम मंदिर—कोष में जमा की जायगी. नौवां अध्याय—नियम नियम बनाने की राज्य सरकार की शिक्त.

मध्यप्रदेश अधिनियम

ंक्रमांक २ सन् २००४. 🕟

मध्यप्रदेश श्री गणपति मंदिर खनराना (इन्दौर) अधिनियम, २००३.

[दिनांक 17 फरवरी, 2004 को राष्ट्रपति को अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (आसाधारण)!' में दिनांक 4 मार्च. 2004 को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

श्री गणपति मंदिर खजराना, इन्दौर तथा उसके विन्यासों के अधिक अच्छे अनुरक्षण, परिरक्षण, प्रवंध तथा प्रशासन के लिये और उनसे आनुषंगिक या उनसे संसक्त विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

पहला अध्याय—प्रारंभिक.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्री गणपति मंदिर खजराना (इंदौर) अधिनियम, २००३ है.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

- (२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.
- २. (१) यह अधिनियम, धार्मिक विन्यास अधिनियम, १८६३ (१८६३ का संख्यांक २०), पूर्त विन्यास अधिनियम, १८९० (१८९० का संख्यांक ६), पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, १९२० (१९२० का १४) या मध्यप्रदेश पव्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) में या किसी प्रवंध स्कीम में, या किसी डिक्री, लिखत, रूढ़ि या प्रथा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा.

इस अधिनियम का कतिपय अधिनियमों पर अध्यारोही प्रभाव होगा.

- (२) मंदिर के कार्यकलापों के प्रबंध से तथा मंदिर के विन्यासों के प्रबंध से संबंधित समस्त विधियां, विनियम तथा अन्य अधिनियमितियां या आदेश और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उक्त प्रयोजन के लिये निप्पादित किये गये समस्त विलेख तथा उक्त प्रयोजन के लिये किसी पुजारी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ किये गये समस्त ठहराव, जहां तक कि ऐसी अधिनियमितियां, विलेख या ठहराव इस अधिनियम के उपवंधों से असंगत हों, प्रभावहीन हो जायेंगे.
 - ३. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं

- (कं) ''प्रशासक'' से अभिप्रेत है धारा १६ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किया गया मंदिर का प्रशासक;
- (ख) ''नियत तारीख'' से अभिप्रेत है धारा १ की उपधारा (२) के अधीन नियत की गई तारीख;
- (ग) "'अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है समिति का अध्यक्ष:
- (घ) "कलक्टर" से अभिप्रेत है इंदौर जिले का कलक्टर;
- (ङ) ''सिमिति'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित की गई श्री गणपित मंदिर खजराना, इन्दौर प्रबंध सिमिति;
- (च) "न्यायालय" से अभिप्रेत है जिला न्यायाधीश इंदौर का न्यायालय;
- (छ) "विन्यास" से अभिप्रेत है ऐसी समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति जो मंदिर की है या जो मंदिर के अनुरक्षण या सुधार के लिये, या उसमें परिवर्धन के लिये, या उसमें पूजा के लिये, या उसकी संभाल

के लिये, या उससे संबंधित कोई सेवा या खैरात की जाने के लिये, अथवा मंदिर में आने वाले तीर्धयात्रियों की प्रसुविधा, सुविधा या आराम के लिये किसी भी नाम से दी गई है या विन्यस्त की गई है और उसके अन्तर्गत आते हैं:—

- (एक) मंदिर में प्रतिष्ठापित मूर्तियां;
- (दो) मंदिर के परिसर;
- (तीन) जंगम या स्थावर सम्पत्ति, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, के समस्त दान और किसी भी स्त्रोत से व्युत्पन्न समस्त आय जो किसी भी नाम में अंकित हो और जो मंदिर को अथवा सिमित के अधीन के किन्हीं स्थानों को धार्मिक, पित्रत्र या पूर्त प्रयोजनों के लिये समर्पित हो, अथवा कोई भी ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति जिसका क्रय मंदिर कोष में से किया गया हो तथा समस्त चढ़ावे जिनके अंतर्गत ऐसी चढ़ोत्री आती है जो मंदिर के लिये की गई हो और मंदिर के लिए तथा मंदिर की ओर से प्राप्त की गई हो;
- (ज) ''अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है;
- (झ) "मंदिर" से अभिप्रेत है जिला इंदौर, तहसील इंदौर के ग्राम खजराना में स्थित श्री गणपित देवता का मंदिर, सर्वेक्षण क्रमांक १०७४ का रकवा ०.५२६ हेक्टर तथा सर्वेक्षण क्रमांक ४९१ का रकवा १.७०४ हेक्टर में सम्मिलित भूमि तथा उसमें स्थित भूमियों पर मंदिर, भवन तथा अन्य संरचनाओं के साथ और अनुसूची में वर्णित समस्त अनुलग्न तथा अधीनस्थ मंदिर तथा कोई भी ऐसे प्राधिकृत परिवर्धन जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् उनमें किये जायं;
- (ञ) ''पुजारी'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो पूजा करने, पूजा-अर्चना करने या उनसे संवंधित अन्य कर्मकाण्ड या सेवायें करने के लिये प्राधिकृत है;
- (ट) ''सेवक'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो पुजारी को उसके कृत्यों के सम्यक् पालन करने में सहायता करने और विशेषतः श्री गणपित देवता के गर्भ गृह को स्वच्छ और भलीभांति सुरक्षित रखने के लिये प्राधिकृत है;
- (ठ) 'आयुक्त'' से अभिप्रेत है, आयुक्त इंदौर संभाग

दूसरा अध्याय-सम्पत्ति का निहित होना तथा समिति का गठन.

सम्पत्ति का निहित होना

- ४. किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश में या किसी रूढ़ि या प्रथा या संविदा, सनद, लिखत, विलेख या संपत्ति, वचनबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकृल बात के होते हुए भी,—
 - (एक) मंदिर तथा उन समस्त विन्यासों का, जो मंदिर के फायदे के लिए किसी भी व्यक्ति के नाम से या तीर्थयात्रियों की सुविधा, आराम या प्रसुविधा के लिये किये गये हैं अथवा इसके पश्चात् किये जाये, स्वामित्व; और
 - (दो) समस्त चढ़ावे, जिसमें चढ़ोत्री भी सम्मिलित हैं, श्री गणपित देवता में निहित होंगे.

प्रशासन समिति में निहित होगा. ५. (१) किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश में या किसी रूढ़ि या प्रथा या संविदा, सनद, लिखत, विलेख या वचनबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मंदिर और उसके विन्यासों का कब्जा, प्रशासन, नियंत्रण तथा प्रबंध श्री गणपति मंदिर, खजराना, इंदौर प्रबंध समिति में निहित होगा.

- (२) श्री गणपित मंदिर, खजराना, इंदौर प्रबंध सिमिति एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका व्ययन करने और संविदा करने की शिक्त होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.
 - (३) समिति का मुख्यालय खजराना, जिला इंदौर होगा.
 - ६. (१) समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

- समिति का गठन.
- (क) इंदौर जिले का कलक्टर या उस दशा में और उस समय तक जब तक कि कलक्टर उपधारा (३) के अधीन सदस्यता के लिये पात्र न हो, कोई अपर कलक्टर या कोई डिप्टी कलक्टर जो कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ख) चार अधिकारी जो कलक्टर इंदौर द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;
- (ग) दो पुजारी जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे;
- (घ) . राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो अशासकीय व्यक्ति जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो हिन्दू धर्म तथा उक्त मंदिर में की जाने वाली पूजा के स्वरूप से संबंधित कर्मकाण्डों और रूढ़ि का विशेष ज्ञान रखता हो.
- (२) कलक्टर या उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति समिति का अध्यक्ष होगा.
- (३) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो हिन्दू धर्म को न मानता हो तथा मंदिर में की जाने वाली पूजा के स्वरूप को स्वीकार न करता हो, समिति की सदस्यता के लिये पात्र नहीं होगा.
 - (४) सदस्यों का नामनिर्देशन ऐसी रीति में अधिसूचित किया जायेगा जैसी कि विहित की जाय.
- ७. (१) धारा (६) की उपधारा (१) के खण्ड (ख) या (ग) या खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया कोई सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि तक के लिए पद धारण करेगा तथा पुन: नामनिर्देशन के लिये पात्र होगा.

सदस्यों की पदावधि, उनका त्यागपत्र तथा उनका हटाया जाना.

- (२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किया गया कोई सदस्य उसे नामनिर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी को अपने पद का त्याग करने की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और उस प्राधिकारी द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाने पर वह सदस्य नहीं रह जायेगा.
 - (३) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी सदस्य को हटा सकेगी, यदि,—
 - (क) वह विकृत चित्त का है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है: या
 - (ख) उसने दिवालिया न्यायनिर्णीत किये जाने हेतु आवेदन किया है अथवा वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या
 - (ग) वह किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया जा चुका है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

- (घ) वह मंदिर के प्रशासन के संबंध में भ्रष्टाचार या अवचार का दोषी रहा है; या
- (ङ) वह सिमिति के तीन से अधिक क्रमवर्ती सिम्मिलनों में अनुपस्थित रहा है और ऐसी अनुपस्थिति के लिए ऐसा स्पष्टीकरण करने में असमर्थ है, जिससे सिमिति का समाधान हो जाये; या
- (च) सिमिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के पश्चात् उसने, विधि व्यवसायी होते हुए किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति की ओर से सिमिति के विरुद्ध कार्य किया है या वह किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति की ओर से सिमिति के विरुद्ध उपसंजात हुआ है; या
- (छ) उसने हिन्दू धर्म को मानना बंद कर दिया है या मंदिर की पूजा में उसका विश्वास नहीं रह गया है; या
- (ज) उसने अस्पृश्यता प्रथा को प्रोत्साहन देने या उसे अग्रसर करने में कोई कार्य किया है या ऐसे किसी कार्य के किये जाने का दुष्प्रेरण किया है:
- (४) उपधारा (३) के अधीन किसी सदस्य को तव तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे उसके हटाये जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.
- (५) कोई सदस्य, जिसे उपधारा (३) के अधीन हटा दिया जाता है, उस तारीख से, जिसको कि उसे उसके हटाये जाने का आदेश प्राप्त हुआ हो, एक मांस के भीतर उस आदेश को अपास्त कराने के लिए न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगा.

रिक्तियों का भरा जाना.

- ८. (१) सिमिति में की कोई भी रिक्ति उसी रीति में भरी जाएगी जैसी कि धारा ६ की उपधारा (१) में उपबंधित है.
- (२) किसी आकिस्मक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट किये गये किसी सदस्य की पदावधि केवल उतने समय तक के लिये होगी जितने समय तक के लिये वह सदस्य, जिसका कि स्थान भरा गया है, पद धारण करने का हकदार उस दशा में होता, जबकि रिक्ति न हुई होती.

समिति के सम्मिलन.

- ९ (१) सिमिति, अपने कामकाज के संपादन के लिये आवश्यकतानुसार कितनी ही बार किन्तु तीन कलेण्डर मास की कालाविध में कम से कम एक बार सिम्मिलन करेगी.
 - (२) सिमिति के सिम्मलन के लिए गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी.
- (३) सिमिति के प्रत्येक सिम्मिलन की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसकी अनुपस्थिति में किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो कि उपस्थित सदस्यों द्वारा उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिये चुना जाए.
- (४) सिमिति के सिम्मिलन में उद्भूत होने वाले प्रश्न का विनिश्चय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें कि मत बराबर-बराबर हों, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.
- (५) सिमिति का सिचव, कार्यवाहियों के कार्यवृत्त, जो यथास्थिति अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, के उचित अभिलेखन तथा उसे बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा और उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति आयुक्त को सूचनार्थ भेजेगा.

- (६) राज्य सरकार या आयुक्त समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समिति के कारबार तथा मंदिर के प्रबंध और उसके कार्यकलाप से संबंधित किसी मामले के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करे.
 - १०. समिति का कोई भी कार्य या कोई भी कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

रिक्ति आदि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.

- उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या (事)
- उसके अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई ∙ (ख) त्रुटि है; या
- उसकी प्रक्रिया में मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालंने वाली कोई अनियमितता है. (刊)

११. इस अधिनियम और उसके अधीन वनाये गये नियमों के उपवंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह,-

- मंदिर की पूजा, पूजा-अर्चना और दैनिक तथा नियतकालिक कर्मकाण्डों के समुचित संपादन के लिए (१) इंतजाम करे;
- भक्तों द्वारा पूजा की जा सके इस हेतु सुविधाएं उपलब्ध करे; (२)
- मंदिर में निहित निधियों, मूल्यवान वस्तुओं तथा आभूषणों की सुरक्षित अभिरक्षा और मंदिर में निहित (**\$**) संपत्तियों का परिरक्षण तथा प्रबंध सुनिश्चित करे;
- मंदिर में व्यवस्था तथा अनुशासन और समृचित स्वास्थ्यकर परिस्थितियां वनाये रखना तथा मंदिर (8) में किये जाने वाले चढ़ावों में सफाई एवं शुद्धता का समुचित स्तर बनाये रखना सुनिश्चित करे;
- यह सुनिश्चित करे कि मंदिर के विन्यासों की निधियां, दाताओं की इच्छाओं, जहां तक कि वे ज्ञात (५) हो सके, के अनुसार व्यय की जाती हैं;
- समस्त ऐसी वातें करे, जो मंदिर के कार्यकलापों के दक्षतीपूर्ण प्रबंध तथा पूजा करने वाले व्यक्तियों (६) की सुविधा से आंनुषंगिक तथा उसमें सहायक हों; और
- किसी अन्य धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक या पूर्व क्रियाकलापों का सम्प्रवर्तन करे. (৩)
- १२. (१) अनश्वर प्रकृति की ऐसी किसी भी जंगम सम्पत्ति को, जो कि समिति के कब्जें में है और जिसका मंदिर की सम्पत्तियों मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक है तथा किन्हीं भी आभूषणों को आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना बेचा नहीं जायेगा, गिरवी नहीं रखा जायेगा या उनका अन्यथा अन्य संक्रामण नहीं किया जायेगा.

का अन्य संक्रामण.

- (२) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी ऐसी स्थावर संपत्ति को जो समिति द्वारा कब्जे में ले ली गई है, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना तीन वर्ष से अधिक के लिये पट्टे पर नहीं दिया जायेगा या वह बंधक नहीं रखी जाएगी, बेची नहीं जायेगी या उसका अन्यथा अन्य संक्रामण नहीं किया जावेगा.
 - **१३. समिति को आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना धन उधार लेने की शक्ति नहीं होगी.**

उधार लेने की

्रेथ. समिति, आयुक्त तथा राज्य सरकार को मंदिर के कार्यकलापों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट .प्रस्तुत करेगी जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी तथा जो ऐसे समय पर प्रस्तुत की जायेगी जैसा कि आयुक्त विनिर्दिष्ट करे:

प्रशासनिक रिपोर्ट.

शक्तियों क। प्रत्यायोजन

१५. समिति अपने कृत्यों में से कोई भी कृत्य अपने अध्यक्ष या सचिव को प्रत्यायोजित कर सकेगी

तीसरा अध्याय—प्रशासक तथा स्थापना.

प्रशासक की नियुक्ति

- १६. (१) राज्य सरकार किसी ऐसे अधिकारी को जो डिप्टी कलक्टर से निम्न पद श्रेणी का न हो तथा जो हिन्दु धर्म को मानता हो, मंदिर का प्रशासक नियुक्त कर सकेगी और प्रशासक अपने पद के आधाः पर समिति का सचिव होगा.
- (२) प्रशासक को मंदिर की आमदनी में से ऐसे वेतन भत्तों या मानदेय का संदाय किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे.
 - (३) समिति मंदिर के प्रशासन, नियंत्रण तथा प्रबंध संबंधी अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रवासक की मार्फत करेगी.

पदों का स्जन तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति

- १७. (१) सिमिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पट, राज्य सरकार के पूर्व अुमोटन के पश्चात् सृजित किये जायेंगे.
- (२) प्रशासक को छोड़कर मंदिर के समस्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कलक्टर द्वारा की जाएगी.
- (३) अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा सेवा के निबंधन एवं शर्ते ऐसी होंगी जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाये.

पुजारियों आदि का नियंत्रण तथा उनकी नियुक्ति.

- १८. (१) वे समस्त पुजारी, सेवक तथा कर्मचारी जो मंदिर से संवद्ध हैं, या जिन्हें मंदिर से कोई उपलब्धियां या परिलब्धियां प्राप्त होती हैं, तथा समस्त अनुज्ञप्तिधारी प्रशासक के नियंत्रण के अधीन होंगे.
- (२) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्राधिकारी, म्यास भंग, असमर्थता, विधिपूर्ण आदेश की अवज्ञा या उपेक्षा के लिये या कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित, रहने के लिये या ऐसा विच्छृंखल व्यवहार या आचरण करने के लिए जो कि मंदिर के अनुशासन या मंदिर की प्रतिष्ठा का अल्पीकरण करता हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से उसके सामने दर्शाए गये निम्नलिखित में से कोई भी दण्ड दे सकेंगे, अर्थात् :—
 - (एक) कलक्टर—पद से हटाया जाना:
 - (दो) प्रशासक—उपेक्षा, आदेश के भंग या विच्छृंखल व्यवहार या आचरण के कारण मंदिर को कारित धन संबंधी किन्हीं हानियों का पूर्णत: या अंशत: उपलब्धियों या परिलब्धियों में से वसूल किया जाना विहित किया गया कोई अन्य लघुदण्ड:

परन्तु यथा पूर्वोक्त कोई भी दण्ड तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का प् युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता.

(३) उस दशा में जबिक किसी पुजारी, सेवक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना कार्य त्याग दिये जाने के कारण या उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने या किसी भी अन्य कारण से कोई रिक्ति हो जाती है तो कलक्टर, यदि वह उस रिक्ति को भरना आवश्यक नहीं समझता है, ऐसे नियमों के, जैसे कि इस संबंध में बनाये जायें, अध्यधीन रहते हुए, उस रिक्ति को भरने के लिये किसी पुजारी, सेवक या ऐसे अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा.

रें १९. (१) कोई भी व्यक्ति, जो कलक्टा/प्रशासक द्वारा पारित किये आदेश से व्यथित हो, उस तारीख से जिसको कि धारा १८ के अधीन का आदेश उसे संसूचित किया गया हो, तीस दिन के भीतर क्रमश: आयुक्त/कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा.

कलक्टर/प्रशासक के आदेश के विरुद्ध अपील.

- (२) अपीलीय प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसे आदेश पारित करें संकेगा, जैसे कि वह ठीक समझे और इस प्रकार पारित किया गया आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और उसे किसी भी विधि के न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा.
- (३) कलक्टर/प्रशासक द्वारा किया गया कोई भी ऐसा आदेश, जो कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट किया गया है या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उपधारा (२) के अधीन किया गया कोई भी आदेश किसो भी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उस आदेश से व्यथित हो अपना अधिकार, यदि कोई हो, सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में सिद्ध करने से विवर्जित नहीं करेगा, किन्तु किसी भी न्यायालय को यह शक्ति नहीं होगी कि वह उक्त आदेश के कार्यान्वयन का ऐसे न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों का या उससे या उसके संबंध में उद्भृत होने वाली किसी अपील या आदेश का अंतिम निपटारा होने तक रोक दे.
- २०. कलक्टर, आपात के मामलों में, कोई ऐसा संकर्म निष्पादित किया जाने या कोई ऐसा कार्य किया जाने का निदेश दे सकेगा जिसके कि लिये उस वर्ष के बजट में प्रावधान नहीं किया गया है और जिसका उसकी राय में तुरन्त निष्पादित किया जाना या किया जाना मंदिर की सम्पत्तियों तथा उसके विन्यासों के परिरक्षण के लिये या मंदिर में आने वाले यात्रियों की सेवा या सुरक्षा के लिये या मंदिर में कर्मकाण्ड के सम्यक् सम्पादन के लिये आवश्यक है और वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा संकर्म निष्पादित किये जाने का या ऐसा कार्य किये जाने का व्यय मंदिर के कोष में से चुकाया जायेगा. कलक्टर, इस धारा के अधीन की गई कार्रवाई तथा उसके कारणों की रिपोर्ट समिति को तुरन्त देगा.

कलक्टर की आपात शक्तियां

चौथा अध्याय-मंदिर कोष, बजट लेखे तथा संपरीक्षा.

- २१. (१) एक निधि गठित की जायेगी जो मंदिर कोष कहलायेगी और वह समिति में निहित की जायेगी तथा मंदिर कोष. समिति द्वारा उसका प्रशासन किया जायेगा और वह (निधि) निम्नलिखित से मिलकर वनेगी :—
 - (क) मंदिर की जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियों से व्युत्पन आय;
 - (ख) कोई चढ़ावा, दान, संदान या अभिदाय; और
 - (ग) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किये गर्ये समस्त धन.
- (२) कोष का उपयोग धारा ११ में प्रगणित किये गये समिति के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों और कर्तव्यों को क्रियान्वित करने में किया जा सकेगा :

परन्तु कोष का उपयोग किसी ऐसे धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक या पूर्त क्रियाकलाप के, जो मंदिर से संबंधित हों संबर्धन के लिये, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा.

- २३. (१) सिमिति अपने पद का भार ग्रहण करने के तीन मास के भीतर, तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष वजट के प्रारंभ होने के कम से कम एक माह पूर्व, उत्तरवर्ती वर्ष के लिये बजट तैयार करेगी या तैयार करवायेगी तथा उस वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व उस पर सिम्मिलन में विचार करेगी और उसे पारित करेगी.
- (२) इस प्रकार पारित किये गये बजट की एक प्रति आयुक्त को अनुमोदन के लिये भेजी जायेगी जो कि उसे ऐसे उपान्तरणों के साथ अनुमोदित कर संकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे.
 - (३) अनुमोदित बजट की एक प्रति प्रशासक द्वारा राज्य सरकार को भेजी जायेगी.

लेखे.

२३. समिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के तीन मास के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिये, मंदिर के प्रशासन के संबंध में प्राप्ति तथा व्यय के सही लेखे तैयार करेगी.

संपरीक्षा.

२४. आयुक्त, मंदिर तथा उसके विन्यासों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिये प्रतिवर्ष एक संपरीक्षक की नियुक्ति करेगा, और उसका पारिश्रमिक नियत करेगा जिसका कि संदाय ऐसे संपरीक्षक को मंदिर कोष से किया जायेगा. संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति आयुक्त को भेजेगा जो कि उस पर ऐसे निदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे और समिति ऐसे निदेशों का पालन करेगी.

पांचवा अध्याय—तियंत्रण.

जानकारी तथा लेखें मंगाने तथा निदेश देने की राज्य सरकार यां आयुक्त की शक्ति. २५. राज्य सरकार या आयुक्त को यह शक्ति होगी कि वह समस्त ऐसी जानकारी तथा लेखे मंगवाये जो कि उसकी राय में उसका युक्तियुक्त रूप से यह समाधान करने के लिये आवश्यक हो कि मंदिर का अनुरक्षण समृचित रूप से किया जाता है, उसके विन्यासों का प्रशासन समृचित रूप से किया जाता है तथा उसकी निधियों का विनियोजन सम्यक् रूप से उन प्रयोजनों के लिये किया जाता है जिनके कि लिये वे स्थापित की गई थीं या जिनके कि लिये वे अस्तिल में हैं और समिति, उसके ऐसी अध्यपेक्षा की जाने पर, ऐसी जानकारी तथा लेखे यथास्थिति, राज्य सरकार या आयुक्त को तत्काल देगी, राज्य सरकार या आयुक्त समिति को ऐसे निदेश दे सकेगा जो कि वह उचित समझे और समिति उनकी पालन करेगी.

निरीक्षण.

- २६. (१) राज्य सरकार या आयुक्त किसी अधिकारी को मंदिर से संबंधित किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति, अभिलेखों पत्र-व्यवहार, रेखांकों (प्लान्स), लेखाओं तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगा. सिर्मार्ट. तथा उसके कर्मचारी ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के लिये सुविधाएं देने के लिये आवद्ध होंगे.
- (२) आयुक्त, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो वह उपधारा (१) के अधीन स्वयं निरीक्षण कर सकेगा

छठवां अध्याय—मंदिर की भूमि, उसके भवनों या अन्य सम्पत्ति पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा करना.

मंदिर की भूमि या उसके भवनों पर व्यक्तियों द्वारा अग्राधिकृत कब्जा.

- २७. (१) जहां प्रशासक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने मंदिर की किसी भूमि या भवन या उसके किसी पवित्र तालाब, कुएं, झरने या जलसरणी (वाटरकोर्स), चाहे वह मंदिर की प्रसीमाओं के भीतर स्थित हों या उनके बाहर, पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है या उन पर अप्राधिकृत रूप से उसका कब्जा बना हुआ है, वहां प्रशासक उस तथ्य की रिपोर्ट सुसंगत विशिष्टियों के साथ अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को करेगा.
- (२) तहसीलदार, उसका यह समाधान हो जाने पर कि अधिक्रमण किया गया है, अधिक्रामक पर एक ऐसी सूचना तामील करवा सकेगा जिसमें अधिक्रमण की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जायेंगी और उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह एक निश्चित तारीख के पूर्व इस बात का कारण दर्शित करे कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाय जिसमें उससे सूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पूर्व अधिक्रमण हटाने की अपेक्षा की जाय. सूचना कि एक प्रति प्रशासक को भी भेजी जायेगी.
 - (३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट की गई सूचना की तामील ऐसी रीति में की जायगी जैसी कि विहित की जाये
- (४) उपधारा (२) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर प्राप्त हुई अधिक्रामक की आपित्तयां, यदि कोई हों, तथा प्राप्त हुए प्रशासक के उत्तर, यदि कोई हों, पर विचार करने के परचात् तहसीलदार, उस दशा में जबिक वह यह विनिश्चित करता है कि कोई अधिक्रमण किया गया है, आदेश द्वारा अधिक्रामक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अधिक्रमण को हटा ले और उस भूमि या भवन, जिस पर अधिक्रमण किया गया है, का कब्जा प्रशासक को ऐसी तारीख के पूर्व परिदत्त कर दे जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की गई है.

- ्रें (५) तहसीलदार का आदेश लिखित में होगा और उसमें वे आधार अंतर्विष्ट होंगे जिन पर कि उसने ऐसा आदेश पारित किया है.
- २८. (१) कोई भी व्यक्ति, जो धारा २७ के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित किए गए आदेश से व्यथित है, उसे ऐसा आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिकारिता रखने वाले उपखण्ड अधिकारी को लिखित में अपील कर सकेगा.

धारा २७ के अधीन तहसीलदार के आदेशों के विरुद्ध अपील

- (२) ऐसी अपील की जाने पर उपखण्ड अधिकारी यह आदेश दे सकेगा कि उस मामले में आगे की कार्यवाहियां अपील का विनिश्चय होने तक रोक दी जायें
- (३) उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार से मामले के अभिलेख मंगवायेगा और अपीलार्थी तथा प्रशासक को विहित रीति में सूचना देने के पश्चात् और यदि आवश्यक हो, तो ऐसी अतिरिक्त जांच जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् अपील को विनिश्चित करेगा.
- (४) तहसीलदार का विनिश्चय, उपखण्ड अधिकारी के विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अधिक्रमण का निश्चायक साक्ष्य होगा :

परन्तु इस धारा में की कोई भी बात अधिक्रामक को अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय में कोई वाद इस आधार पर कि भूमि या भवन पर मंदिर का कोई हक नहीं है, संस्थित करने से निवारित नहीं करेगी.

(५) जहां तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन कोई अपील नहीं की गई है या जहां अपील की गई है और खारिज कर दी गई है, वहां प्रशासक अधिक्रमण को हटा सकेगा और उस भूमि या भवन का, जिस पर कि अधिक्रमण किया गया है, कब्जा अभिप्राप्त कर सकेगा. कोई भी पुलिस अधिकारी, जिसकी कि मदद की अपेक्षा इस प्रयोजन के लिये की जाय, प्रशासन को आवश्यक मदद देने के लिये आबद्ध होगा.

सातवां अध्याय--प्रकीर्ण

२९. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ४१ सन् १९६१) के उपवंध धारा ४ के अधीन श्री गणपति देवता में निहित होने वाली किसी सम्पत्ति को लागू नहीं होंगे.

मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६१ के उपवंधों का लागून होना.

३०. इस अधिनियम के अधीन या किसी ऐसे करार, जिसमें कि तद्धीन देय किसी रकम की वसूली भू-राजस्व के वकाया के तौर पर की जाने बाबत् उपबंध हों, के अधीन मंदिर की शोध्य समस्त धन, प्रशासक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे प्रशासक इस निमित्त प्राधिकृत करे, हस्ताक्षिरत प्रमाण-पत्र दिया जाने पर, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होंगे.

मंदिर का शोध्य धन भू-राजस्वं के बंकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा.

३१. राज्य सरकार के या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के या समिति के या उसके किसी सदस्य के या प्रशासक के या समिति के अनुदेशों के अधीन कार्य करने वाले या समिति द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों या उप विधियों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण.

३२. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सिमित या उसके किसी सदस्य या प्रशासक द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना, पारित किया गया कोई आदेश, किया गया कोई विनिश्चय, की गई कोई कार्यवाही अथवा कार्रवाई या की गई कोई बात न्यायालय में प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके

अधिसूचनाएं आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे अधीन प्रदत्त की गई किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जायगा.

भूमि का अजन.

३३. जब कोई भूमि या भवन, चाहे वह मंदिर की सीमाओं के भीतर हो या उनके बाहर, मंदिर के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है और सिमिति उसे करार के द्वारा अर्जित करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार, सिमित के अनुरोध पर, ऐसी भूमि या भवन को भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का संख्यांक १) के उपबंधों के अधीन अर्जित करने हेतु अग्रसर हो सकेगी और मंदिर के लिये किए गए किसी भूमि या भवन के ऐसे अर्जन को उस अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत लोक प्रयोजन समझा जाएगा, और उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत किये गये प्रतिकर का तथा किन्हीं अन्य ऐसे प्रभारों का, जो कि उस भूमि या भवन के अर्जन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपगत किये गये हैं, सिमिति द्वारा संदाय कर दिया जाने पर वह भूमि या भवन मंदिर में निहित हो जाएगा और उसके द्वारा ऐसे निवन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए धारण किया जाएगा जिन्हें कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे.

अनुज्ञप्तियां मंजूर करने की शक्ति.

- ३४. (१) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो मंदिर के परिसर के भीतर तथा उसके आसपास फूल, प्रसाद, पुस्तकें तथा अन्य साहित्य, चित्र और ऐसी अन्य सामग्री, जो समिति द्वारा अनुमोदित की जाय, बेचने या मंदिर के परिसर के भीतर तथा उसके आसपास साइकिलें, जूते, छाते या अन्य वैयक्तिक चीज-वस्तु की देखभाल करने का काम करना चाहता है, अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण हेतु आवेदन प्रशासक को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर करेगा, जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाय.
- (२) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जो कि समिति, विहित सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे.
- (३) प्रशासक अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा या उसे नवीकृत कर सकेगा या अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति मंजूर करने या उसे नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा.
- (४) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई समस्त अनुज्ञप्तियां इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और बनाई गई उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन होंगी.

अनुज्ञप्तिया रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति.

- -३५. (१) उपधारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रशासक लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगा :—
 - (क) यदि अनुज्ञप्ति जानवूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है;
 - (ख) यदि अनुज्ञप्ति का धारक या कोई सेवक या कोई व्यक्ति, जो उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य कर रहा है, अनुज्ञप्ति के किन्हीं निवन्धनों तथा शर्तों को भंग करता है; या
 - (ग) यदि अनुज्ञप्ति का धारक दिवालिया हो गया है; या
 - (घ) यदि अनुज्ञप्ति के धारक को इस अधिनियम या तत्समय प्रवत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है.
- (२) इस धारा के अधीन किसी अनुज़प्ति को तब तक निलम्बित या रद्द नहीं किया जायगा जब तक कि अनुज़प्ति के धारक को ऐसे निलम्बन या रद्दकरण के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

- के अधीन प्रशासक के आदेश अधीन के या धारा ३५ की उपधारा (१) के अधीन प्रशासक के आदेश अपील से व्यथित कोई भी व्यक्ति कलक्टर, को अपील कर सकेगा
- ्र्रीहुं (२) उपधारा (१) के अधीन अपील, आदेश प्राप्त होने की तारीख़ से तीस दिन के भीतर, ऐसी रीति में की ब्रजायेग़ी जो कि उपविधियों द्वारा विहित की जाए.
 - (३) कलक्टर द्वारा पारित किया आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायगा.
- अं (१) सिमिति इस बात के लिये हकदार होगी कि वह मंदिर की समस्त जंगम तथा स्थावर संपत्तियों, जिनके अन्तर्गत निधियां, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेजों तथा अन्य आस्तियां भी आती हैं, पर कब्जा करे और उन्हें अपने कब्जे में रखे.

मंदिर और उसकी संपत्तियां समिति के कब्जे में होंगी.

- (२) यदि ऐसा कब्जा अभिप्राप्त करने में, सिमित या सिमित द्वारा इस निमित प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे वाधा पहुंचाई जाती है, तो वह ऐसे तहसीलदार को, जिसकी कि अधिकारिता के भीतर कोई ऐसी संपत्ति स्थित है, विहित प्ररूप में एक अध्यपेक्षा इस बात के लिये कर सकेगा कि वह सिमित को उसका कब्जा परिदत करवाये और ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर वह तहसीलदार मामले के तथ्यों की संक्षिप्त जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रतिरोध या वाधा विना किसी न्यायसंगत हेतुक के थी, तो वह उक्त अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा, और इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करने में तहसीलदार इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा मार्गदर्शित होगा.
- (३) सिमिति के या उसके अनुदेश के अधीन कार्य करने वाले या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो कि उपधारा (२) के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.
- (४) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, (इस धारा के अधीन किये गये) किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा, उक्त सम्पत्ति पर के अपने हक को सिद्ध करने के लिए, किसी वाद के संस्थित किये जाने को वर्जित नहीं करेगी.
- (५) वे समस्त लोक अधिकारी, जिनकी कि अभिरक्षा में मंदिर या उसकी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति से संबंधित कोई अभिलेख, रजिस्टर, रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज हों, उनकी ऐसी प्रतियां या उनमें से ऐसे उद्धरण देंगे जैसे कि प्रशासक द्वारा अपेक्षित किये जायें.

आठवां अध्याय—अपराधः-

३८. जो कोई.-

अपराध.

(क) जिसका कि कर्तव्य मंदिर के कर्मकाण्डों का संपादन करना या देवता की पूजा-अर्चना करना है, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए उक्त कर्तव्यों के अपालन से कर्मकाण्डों का या पूजा-अर्चना का संपादन करने में विलम्ब होगा या जनता या उसके किसी वर्ग को, जो कि मंदिर में पूजा करने का हकदार है, असुविधा होगी या उसका उत्पीड़न होगा, कोई दावा या विवाद उठाएगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहेगा या पालन से इंकार करेगा और प्रशासक के ऐसे आदेशों की, जिनके कि द्वारा उसे यह निदेश दिया गया है कि वह ऐसे दावे या विवाद के उचित न्याय निर्णयन के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने कर्तव्यों का पालन करे, जानबूझकर अवज्ञा करेगा या उनका पालन नहीं करेगा, वह व्यक्ति या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे आचरण का दुष्प्रेरण करता है; या

- (ख) मंदिर के परिसर के भीतर किसी देवता से संबंधित कोई कर्मकाण्ड या पूजा-अर्चना आप्राधिकृति, रूप से करेगा; या
- (ग) किसी पुजारी या सेवक को उसके द्वारा कर्तव्यों का सम्यक्रूप से संपादन करने में वल प्रयोग द्वार
 या अन्यथा स्वेच्छा से वाधा पहुंचायेगा; या
- (घ) जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे कोई "भोग" या मंदिर अपवित्र हो जाये;
- (ङ) अप्राधिकृत रूप से किसी ''थाली'' या अन्य पात्र को ऐसी रीति में प्रदर्शित करेगा जिससे कोई व्यक्ति उस ''थाली'' या अन्य पात्र में कोई चढ़ावा चाहे वह नगद में हो या वस्तु के रूप में, चढ़ाने के लिये युक्तियुक्त रूप से उत्प्रेरित हो जाय या किसी भी अन्य रीति में धन की याचना करेगा; य
- (च) सिमिति या प्रशासक द्वारा इस बात के लिये प्राधिकृत न होते हुए मंदिर के परिसर के भीतर व्यक्तियों के गमनागमन में या उससे संबंधित विनियामक उपायों में हस्तक्षेप करेगा; या
- (छ) मंदिर के भीतर के किसी स्थान में वलपूर्वक प्रवेश करेगा जविक ऐसा प्रवेश किसी विधि या रूढ़ि के अधीन या समिति या प्रशासक द्वारा पारित किये गये किसी विधिपूर्ण आदेश के अधीन प्रतिषिद्ध है;
- (ज) मंदिर के परिसर के भीतर कोई वस्तु यह जानते हुए ले जायेगा कि मंदिर के परिसर के भीतर ऐसी वस्तु का ले जाना किसी विधि या रूढ़ि के अधीन या किसी ऐसी घोषणा द्वारा प्रतिषिद्ध है जो कि सिमित द्वारा प्रचलित रूढ़ि, लोक स्वास्थ्य, नैतिकता या जनता की धार्मिक भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुए विहित रीति में की गई है तथा प्रकाशित की गई है, दोषसिद्ध टहराये जाने पर वह, किसी ऐसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकृत प्रभाव डाले विना जो इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपवंधों के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेंगा या जुमनि से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेंगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

अपराधों का संज्ञान. ३९. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी भी अपराध का संज्ञान प्रशासक की पूर्व मन्जूरी के बिना नहीं करेगा.

अपराधों का प्रशपन. ४०. (१) प्रशासक, किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कि विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, ऐसी धनराशि जो—

- (क) धारा ३८ के खण्ड (घ) के अधीन आने वाले मामलों में मूल्य की दुगनी रकम से, और
- (ख) किन्हीं अन्य मामलों में, उस अपराध की बावत् अधिरोपित किये जा सकने वाले जुर्माने की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी, उस अपराध के प्रशमन के रूप में प्रतिगृहीत कर सकेगा.
- (२) ऐसी धनराशि का भुगतान किया जाने पर, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी.

जुर्माने की रकम ४१. वे समस्त रकमें, जो इस अधिनियम के अधीन के अपराध के लिये दोषसिद्धि पर जुर्माने के मद्दे या प्रशमन मंदिर कोष में जमा की जायेगी.

नौवां अध्याय—नियम.

४२. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना नियम बनाने की शक्ति.

- (२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकृल प्रभाव डाले विना; ऐसे नियमों में निप्नलिखित समस्त विषयों के लिये या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपवन्ध हो सकेंगे. अर्थात:---
 - वह रीति जिसमें समिति के सदस्य का नामनिर्देशन धारा ६ की उपधारा (४) के अधीन अधिसूचित (क) किया जाएगा;
 - वह रीति जिसमें अधिक्रामक पर धारा २७ की उपधारा (३) के अधीन सूचना की तामील (ख) की जायगी;
 - वह रीति जिसमें धारा २८ की उपधारा (३) के अधीन सूचना दी जायेगी; (刊)
 - (घ) वे सीमार्ये जिनके कि अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के लिये फीस धारा ३४ की उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिप्ट की जा सकेगी:
 - वह प्ररूप जिसमें धारा ३७ की उपधारा (२) के अधीन अध्यपेक्षा की जा सकेगी: (ङ)
 - वह रीति जिसमें धारा ३८ के खण्ड (ज) के अधीन घोषणा की जायगी तथा प्रकाशित (ਚ) की जायगी;
 - कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाय. (छ)
 - (३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.
- ४३. (१) समिति, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, मंदिर तथा उसके विन्यासों के प्रवंध एवं प्रशासन के लिये ऐसी उपविधियां वनाने उपविधियां बना सकेगी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या किसी अन्य विधि से असंगत न हों.

की समिति की शक्ति.

- (२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, ऐसी उपविधियों में निम्नलिखित के लिये उपबंध हो सकेंगे:—
 - समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के बीच कर्तव्यों का विभाजन; (क)
 - वह रीति जिसमें किसी विषय पर विनिश्चयं सम्मिलनों में न किया जाकर अन्यथा किया (평). जा सकेगा:
 - (刊) समिति के सम्मिलनों में कामकाज की प्रक्रिया और उसका संचालन;
 - समिति के कार्यकाल में रखी जाने वाली पुस्तकें तथा लेखे; (甲)
 - समिति की निधियों की अभिरक्षा और उसका विनिधान; (ङ)

- (च) सिमिति के वजट में सिम्मिलित किये जाने वाले या उसमें से अपवर्जित किये जाने वाले ब्यौरे;
- (छ) . समिति के सम्मिलनों का समय और स्थान;
- (ज) वह रीति जिसमें सिमिति के सिम्मिलनों की सूचना दी जायेगी;
- (झ) सिम्मिलनों में व्यवस्था बनाये रखना और उनमें कार्यवाहियों का संचालन उथा वे शिक्तयां जिनका
 कि प्रयोग अध्यक्ष, सिमित के विनिश्चय को प्रवर्तित कराने के प्रयोजनों के लिए कर सकेगा;
- (ञ) वह रोति जिसमें समिति के सम्मिलन की कार्यवाहियों को अभिलिखित ंक्या जायेगा;
- (ट) वे व्यक्ति जिनके द्वारा उन धनों के लिये, जो कि समिति की संदत्त किये गये हों, रसीदें दी जा सकेंगी:
- (ठ) मंदिर के भीतर व्यवस्था बनाये रखना और मंदिर में व्यक्तियों के प्रवेश तथा मंदिर में से उनके निकास का विनियमन करना;
- (ड) वह रीति जिसमें ''पर्वी'', ''मेलों'' और ''उत्सवों'' के दौरान मंदिर में पूजा की जायगी;
- (ढ) मंदिर के ''पुजारी'', ''सेवक'' के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की सूची, शैक्षिक अर्हता, धर्म संबंधी ज्ञान, आचरण, प्रशिक्षण तथा अनुभव एवं तदानुवंगिक अन्य बातों पर विचार करने के पश्चात् तैयार करना;
- (ण) धारा १७ के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये प्रक्रिया तथा उनकी सेवा के निवंधन एवं शर्ते;
- (त) वह रीति जिसमें तथा वह कालाविध जिसके भीतर धारा ३४ की उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन किया जा सकेगा;
- (थ) वह रीति जिसमें धारा ३६ की उपधारा (२) के अधीन अपील की जा सकेगी;
- (द) कोई अन्य विषय जिसके कि लिये इस अधिनियम के अधीन उपविधियां बनाई जाना हों या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपवन्थों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये उपविधियां बनाना आवश्यक हों.
- (३) समस्त उपविधियां, आयुक्त द्वारा उनकी पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात् मंदिर के सूचना फलक पर लगाई जायेंगी

कठिनाई का दूर किया जाना. ४४. (१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भृत हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किये गये साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो कि ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु, कोई भी ऐसा आदेश नियत तारीख से एक वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जायगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जायगा.

अनुसूची [धारा ३ (झ) देखिए].

श्री गणेश मंदिर श्री दुर्गामाता मंदिर श्री शिव मंदिर श्री क्षिप्रेश्वर महादेव मंदिर श्री कृष्ण मंदिर श्री कैलामातां मंदिर श्री भादवामाता मंदिर श्री हिंगलाज देवी मंदिर श्री चिंतामन गणेश मंदिर **१**0. श्री महाकाल मंदिर **₹**१. श्री वेदमाता मंदिर १२ श्री सिद्ध भैरव मंदिर ₹3. श्री नरसिंह मंदिर श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर श्री सीतलामाता मंदिर श्री जयसंतोषी माता मंदिर १૪ં. श्री हनुमान मंदिर श्री गणेश मंदिर काले गणेश ₹€. **१**७. श्री शनि मंदिरं श्री सांई ब़ाबा मंदिर १८. श्री वैंकटेश मंदिर १९. श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर ₹0. श्री इच्छामन गणेश मंदिर २१. श्री महावीर हनुमान मंदिर ·२२. ₹\$. श्री दत्तात्रेय मंदिर श्री राम दंखार मंदिर ₹४. श्री राधाकृष्ण मंदिर 74. श्री महालक्ष्मी मंदिर २६. श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर ₹७. श्री प्रचंड भैरव मंदिर . २८. श्री भैरव मंदिर ₹९. . ₹o. श्री सूर्य मंदिर श्री गंगामाता मंदिर . ३१.

श्री दक्षिणी हनुमान मंदिर

श्री संतोषीमाता मंदिर .

३२..

भोपाल, दिनांक ४ मार्च 2004

क्र. 928-73-इक्कीस-अ(प्रा.) —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश श्री गणपति मंदिर खजराना (इन्दौर) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 2 सन् 2004) का अन्त्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सर्चिव.

150 (16)

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 of 2004.

THE MADHYA PRADESH SHRI GANAPATI MANDIR KHAJRANA, (INDORE) ADHINIYAM, 2003.

TABLE OF CONTENTS

Sections:

	CHAPTER I—PRELIMINARY	
. 1.	Short title and commencement.	•
2.	Act to override certain Acts.	
3.	Definitions.	
	CHAPTER II—VESTING OF PROPERTY AND CONSTITUTION OF COMMITT	ΓE
4.	Vesting of Property.	
5.	Administration to vest in Committee.	•
6.	Constitution of the Committee.	
7.	Term of office, resignation and removal of members.	
8.	Filling of vacancies.	
9	Meetings of the Committee.	
10.	Vacancy etc., not to invalidate proceedings.	
п.	Duties of the Committee.	•
12.	Alienation of Mandir properties.	
13.	Borrowing powers.	
14.	Administrative Report.	
15.	Delegation of Powers.	

CHAPTER III—ADMINISTRATOR AND ESTABLISHMENT

- 16. Appointment of Administrator.
- 17. Creation of posts and appointment of officers and employees.
- 18. Control and appointment of Pujaris etc.
- 19. Appeal against the order of the Collector/Administrator.
- Emergency powers of the Collector.

CHAPTER IV-MANDIR-KOSH, BUDGET, ACCOUNTS AND AUDIT

21. Mandir-Kosh.

<u> </u>	<u> </u>
22.	Budget.
23.	Accounts.
24.	Audit.
	CHAPTER V—CONTROL
25.	Power of the State Government or Commissioner to call for information and accounts and issue
	directions:
26.	Inspection.
CI	HAPTER VI—UNAUTHORISEDLY TAKING POSSESSION OF LAND BUILDINGS OR OTHER PROPERTY OF MANDIR.
27,	Unauthorised possession by persons of land or building belonging to Mandir.
28. _.	Appeals against orders of Tahsildar under section 27.
	CHAPTER VII—MISCELLANEOUS.
29 . '	Provisions of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961, not to apply.
30.	Money due to the Mandir, recoverable as arrears of land revenue.
31.	Protection of action taken in good faith.
32.	Notification, orders etc. not to be questioned in court of law.
33.	Acquisition of land.
34.	Power to grant licences.
35.	Power to cancel or suspend licences.
36.	Appeal.
37.	Committee to be in possession of the Mandir and its properties.
	CHAPTER VIII—OFFENCES
38.	Offences.
39.	Cognizance of offences.
40	Composition of offences.
41.	Fines to be credited to Mandir-Kosh.
•	
	CHAPTER IX—RULES
42.	Power of the State Government to make rules.
43.	Power of Committee to make bye-laws.
14:	Removal of difficulty.
E SCHE	DULE.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 of 2004.

THE MADHYA PRADESH SHRI GANAPATI MANDIR KHAJRANA (INDORE) ADHINIYAM, 2003.

[Received the assent of the President on the 17th February, 2004; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 4th March, 2004.]

An Act to provide for the better maintenance, preservation, administration and governance of "Shri Ganapati Mandir, Khajrana, Indore" and its endowments and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-fourth year of the Republic of India, as follows:—

CHAPTER I-PRELIMINARY

Short title and commencement.

- 1. (1) This Act may be called the "Madhya Pradesh Shri Ganapati Mandir Khajrana, (Indore) Adhiniyam, 2003".
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Act to override certain Acts.

- 2. (1) This Act shall have effect, notwithstanding anything contained to the contrary in the Religious Endowments Act, 1863 (No. 20 of 1863), the Charitable Endowments Act, 1890 (No. 6 of 1890), the Charitable and Religious Trusts Act, 1920 (No. 14 of 1920), the Madhya Pradesh Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951) or in any Scheme of management or in any decree, instrument custom or usage.
- (2) All laws, regulations and other enactments or order relating to the management of the affairs of the Mandir and its endowments and all deeds executed and all arrangements entered into, for the said purpose with a 'Pujari' or any other person prior to the commencement of this Act, in so far as such enactments, deeds or arrangements are inconsistent with the provisions of this Act, shall cease to have any effect.

. Definitions

- 3. In this Act, unless the context otherwise requires:—
- (a) "Administrator" means the Administrator of the Mandir appointed under sub-section (1) of Section 16;
- (b) "Appointed date" means the date appointed under sub-section (2) of Section 1;
- (c) "Chairman" means the Chairman of the Committee;
- (d) "Collector" means the Collector of Indore District;
- (e) "Committee" means the "Shri Ganapati Mandir. Khajrana, Indore Managing Committee" constituted under this Act;
- (f) "Court" means the court of the District Judge, Indore;
- "Endowment" means all property, movable or immovable belonging to or given or endowed in any name whatsoever for the maintenance or improvement of, or additions to, or worship in, or support of the Mandir or for the performance of any service or charity connected therewith or for the benefit, convenience or comfort, of the pilgrims visiting the Mandir and includes,—
 - (i) the idols installed in the Mandir;

- (ii) the premises of the Mandir,
- (iii) all gifts of property movable or immovable wherever situated and all income derived from any source, whatsoever and standing in any name dedicated to the Mandir or places for any religious, pious or charitable purpose under the Committee or any movable or immovable property purchased from out of the Mandir Kosh and all offerings including "chadhotry" made to and received for and on behalf of the Mandir.
- (h) "Licensee" means a person who is granted a licence under this Act;
- (i) "Mandir" means the Temple of Shri Ganapati Devta, Khajrana, Tehsil Indore, District Indore, land included in survey No. 1074 (area 0.526 hectares) and survey No. 491 (area 1.704 hectares) together with temples, buildings and other structures situated therein and all appurtenant and subordinate temples mentioned in the schedule and any authorized additions which may be made thereto after the commencement of this Act;
- "Pujari" means any person who is authorized to perform worship, puja-archana, or other rituals or services connected therewith;
- (k) "Sevak" means any person who is authorized to assist the "Pujari" in due performance of his functions and especially in keeping the "Garbha Grih" of Shri Ganapati Deity, cleaned and well guarded.
- (I) "Commissioner" means the Commissioner, Indore Division.

CHAPTER II—VESTING OF PROPERTY AND CONSTITUTION OF COMMITTEE

4. Notwithstanding anything contained in any decree or order of any court or any custom or usage or contract, sanad, instrument, deed or property, engagement to the contrary,—

Vesting of property.

- the ownership of the Mandir and all the endowments which have been or may hereafter be made for the benefit of the Mandir in the name of any person whatsoever or for the convenience, comfort or benefit of the pilgrims, and
- (ii) ... all offerings including "chadhotry"

Shall vest in the Deity of Shri Ganapati Devta.

5. (1) Notwithstanding anything contained in any decree or order of any court or any custom or usage or contract, sanad, instrument, deed or engagement, the possession, administration, control and management of the Mandir and its endowments shall vest in Shri Ganapati Mandir, Khajrana, Indore Managing Committee.

Administration to vest in Committee

- (2) Shri Ganapati Mandir, Khajrana, Indore Managing Committee shall be a body corporate having prepetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue and be sued.
 - . (3) The headquarters of the Committee shall be at Khajrana, Indore District.
 - 6. (1) The Committee shall consist of,-

Constitution of the Committee

- (a) the Collector of Indore District or if and so long as the Collector is not eligible for membership under sub-section (3), an Additional Collector or a Deputy Collector nominated by the Collector;
- (b) Four officers to be nominated by the Collector, Indore;

W

- (c) Two Pujaries to be nominated by the State Government;
- (d) Two non-officials, one of whom shall be a person having a special knowledge of Hindu religion, rites and customs relating to the form of worship practiced in the Mandir, to be nominated by the State Government.
- (2) The Collector or the person nominated under clause (a) of sub-section (1) shall be the Chairman of the Committee.
- (3) No person who does not profess Hindu religion and does not accept the form of worship practiced in the Mandir shall be eligible for membership of the Committee.
 - (4) The nomination of the members shall be notified in such manner as may be prescribed.

Terms of office, resignation and removal of members.

- 7. (1) A member, nominated under clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of Section 6 shall hold office for a period of three years from the date of his nomination and shall be eligible for re-nomination.
- (2) A member referred to in sub-section (1) may resign his office by giving notice in writing thereof to the authority nominating him and shall cease to be member on his resignation being accepted by that authority.
- (3) The State Government may, by order, remove a member referred to in sub-section (1)
 - (a) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - (b) he has applied for being adjudged as insolvent, or is an undischarged insolvent; or
 - (c) he has been convicted of any offence involving moral turpitude, or
 - (d) he has been guilty of corruption or misconduct in the administration of the Mandir; or
 - (e) he has absented himself from more than three consecutive meetings of the Committee and is unable to explain such absence to the satisfaction of the Committee.
 - (f) he, being a legal practitioner has acted or appeared on behalf of any person against the Committee in any legal proceeding after he has been nominated as a member of the Committee; or
 - (g) he ceases to profess the Hindu Religion or to believe in temple worship; or
 - (h) he has committed or abetted the commission of any act in support or furtherance of the practice of untouchability.
- (4) A member shall not be removed under sub-section (3) unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against his removal.
- (5) A member who is removed under sub-section (3) may, within one month from the date of the receipt by him of the order of removal, institute a suit in the court to set aside the order.

Filling of vacancies.

8. (1) Any vacancy in the Committee shall be filled in the same manner as provided in sub-section (1) of Section 6.

- (2) The terms of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall be for so long only as the member whose place has been filled would have been entitled to hold office if the vacancy had not occurred.
- 9. (1) The Committee shall, for the transaction of its business, meet as often as may be necessary but at least once in a period of three calendar months.

Meetings of the Committee.

- (2) The quorum for a meeting of the Committee shall be four.
- (3) Every meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman and in his absence by a member to be chosen by the members present to preside for the occasion.
- (4) Question arising at a meeting of the Committee shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting and in every case of equality of votes, the Chairman or the person presiding shall have a casting vote.
- (5) The Secretary of the Committee shall be responsible for the proper record and maintenance of the minutes of the proceedings duly countersigned by the Chairman or the person presiding, as the case may be, and shall submit a copy of the said minutes to the Commissioner for information.
- (6) The State Government or the Commissioner may call upon the Committee to submit a report on any matter concerning the business of the Committee and management of the Mandir and its affairs.
 - 10. No act or proceedings of the Committee shall be invalid merely by reason of,-

Vacancy etc., not to invalidate proceedings.

- (a) any vacancy therein or defect in the constitution thereof; or
- (b) any defect in the appointment of person acting as the Chairman or mamber thereto; or
- (c) any irregularity in its procedure not affecting the merit of the case.
- 11. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder it shall be the duty of the Committee,—

Duties of the Committee.

- (1) to arrange for the proper performance of worship, "Puja archana" and the daily and periodical rites of the Mandir;
- (2) to provide facilities for the offerings of worship by devotees;
- (3) to ensure the safe custody of funds, valuables and jewelleries and the preservation and management of the properties vested in the Mandir;
- (4) to ensure maintenance of order and discipline and proper hygienic condition in the Mandir and proper standard of cleanliness and purity in the offerings made therein;
- (5) to ensure that the funds of the endowments of the Mandir are spent according to the wishes, so far as may be known, of the donors:
- (6) to do all such things as may be incidental and conductive to the efficient management of the affairs of the Mandir and the convenience of the worshippers; and
- (7) to promote any other religious, educational, cultural or charitable activity.



Alienation of Mandir properties.

- 12. (1) No movable property of a non-perishable nature of which the Committee is in possession and the value of which is more than five thousand rupees and no jewellereis shall be sold, pledged or otherwise alienated without the previous approval of the Commissioner.
- (2) Save as otherwise expressly provided in this Act, no immovable property taken possession of by the Committee shall be leased out for more than three years or mortgaged, sold or otherwise alienated except with the previous approval of the Commissioner.

Borrowing powers.

13. The Committee shall have no power to borrow money except with the previous sanction of the Commissioner.

Administrative Report 14. The Committee shall annually submit to the Commissioner and to the State Government a report on the administration of the affairs of the Mandir containing such particulars and at such time as the Commissioner may specify.

Delegation of Powers.

15. The Committee may delegate any of its functions to its Chairman or Secretary.

CHAPTER III-ADMINISTRATOR AND ESTABLISHMENT

Appointment of Administraor.

- 16. (1) The State Government may appoint an officer, not below the rank of a Deputy Collector, professing Hindu religion to be the Administrator of the Mandir and the Administrator shall by virtue of his office be the Secretary of the Committee.
- (2) The Administrator shall be paid out of the revenue of the Mandir such honorarium as a the State Government may determine.
- (3) The Committee shall exercise its powers of administration, control and management of the Mandir through the Administrator.

Creation of posts and appointment of officers and employees.

- 17. (1) The posts of officers and employees of the Committee shall be created after prior approval of the State Government.
- (2) Appointment of all officers and employees of the Mandir other than Administrator shall be made by the Collector.
- (3) The procedure for appointment of officers and other employees and the terms and conditions of service shall be such as may be prescribed by bye-laws.

Control and appointment of Pujaris etc.

- 18. (1) All "Pujaris", "Sevaks" and Servants attached to the Mandir or in receipt of any emoluments or prequisites there from and all licencees shall be under the control of the Administrator.
- (2) Subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws made thereunder, the following authority may, inflict the punishments as shown against it for breach of trust, in-capacity, disobidence of lawful order or neglect of, or willful absence from duty, disorderly behaviour or conduct derogatory to the discipline or dignity of the Mandir or for any other sufficient cause, namely:—
 - (i) Collector removal from office;
 - (ii) Administrator Recovery from emoluments or perquisites of the whole or part of any pecuniary loss caused to Mandir by negligence or breach of order or disorderly behaviour or conduct; or any other minor punishments as prescribed:

Provided that no punishment as aforesaid shall be inflicted unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.

- (3) In case a vacancy on account of a Pujari, Sevak or any other person relinquishing his work or on account of death, removal or any other reason whatsoever, the Collector shall, subject to such rules as may be made in this behalf, appoint a Pujari, Sevak or such other persons to fill the vacancy, unless it considers that the filling of the vacancy is not necessary.
- 19. (1) Any person aggrieved by order passed by the Collector/Administrator may, within thirty days of the date of communication of the order under Section 18 to him, prefer an appeal before the Commissioner/Collector respectively.

Appeal against the order of the Collector/ Administrator.

- (2) The appellate authority shall, after giving the parties concerned a reasonable opportunity of being heard, pass such orders as it deems fit and the order so passed shall be final and conclusive and shall not be called in question in any Court of Low.
- (3) No order made by the Collector/Administrator as is referred to in sub-section (1) or by the apellate authority under sub-section (2) shall debar any person aggrieved thereby from establishing his right, if any, in a Court of competent jurisdiction but no Court shall have power to stay the operation of the said order pending the final disposal of the proceedings before such Court or of any appeal or application arising there from or in relation thereto.
- 20. The Collector may in cases of emergency, direct the execution of any work or the doing of any act which is not provided for in the budget for the year and immediate execution or the doing of which is in his opinion necessary for the preservation of the properties of the Mandir and its endowments or for the service of safety of the pilgrims resorting to the Mandir or for the due performance of the rituals therein and may direct that the expenses of executing such work or doing the Act shall be paid from the Kosh of the Mandir. The Collector shall forthwith report to the Committee the action taken under this section and the reason therefor.

Emergency powers of the Collector.

CHAPTER IV—MANDIR KOSH, BUDGET, ACCOUNTS AND AUDIT

21. (1) There shall be constituted a fund to be called Mandir-Kosh, which shall be vested in and be administered by the Committee and shall consist of,—

Mandir-Kosh.

- (a) the income derived from the movable and immovable properties of the Mandir;
- (b) any offering, gift, donation or contribution; and
- (c) all moneys received under this Act.
- (2) The Kosh may be utilized for carrying out all or any of the functions and duties of the Committee enumerated in Section 11:

Provided that the Kosh shall not be utilized for promotion of any religious, educational, cultural or charitable activity not connected with the Mandir save with prior approval of the Commissioner.

22. (1) The Committee shall, within three months from taking charge of its office and thereafter atleast one month before the Commencement of each financial year, prepare or cause to be prepared a budget for the succeeding year and shall consider and pass the same at a meeting before the commencement of the year.

Budget.

- (2) A copy of the budget so passed shall be sent to the Commissioner for approval, who may approve it with such modifications, as he considers necessary.
 - (3) A copy of the approved budget shall be sent by the Administrator to the State Government.

W

Accounts.

23. The Committee shall, within three months from the end of each financial year, make up correct accounts of the receipt and expenditure in connection with the administration of the Mandir for the preceding year.

Audit.

24. The Commissioner shall every year appoint an auditor to audit the accounts of the Mandir and its endowments and fix his remuneration which shall be paid to such an auditor from the Mandir-Kosh. The auditor shall submit his report to the Committee and send a copy thereof to the Commissioner who may give such directions thereon as he may deem fit and the Committee shall carry out such directions.

CHAPTER V-CONTROL

Power of the State Government or Commissioner to call for information and accounts and to issue directions.

25. The State Government or the Commissioner shall have the power to call for all such information and accounts as may in its/his opinion be necessary for reasonably satisfying itself/ himself that the Mandir is properly maintained, the endowments thereof are properly administered and their funds are duly appropriated to the purpose for which they were founded or exist; and the Committee shall on such requisition, furnish forthwith such information and accounts to the State Government or the Commissioner, as the case may be. The State Government or the Commissioner may issue such direction to the Committee as it/he may deem fit and the Committee shall carry them out.

Inspection.

- 26. (1) The State Goernment or the Commissioner may depute an officer to inspect any movable or immovable property, records, correspondence, plans, accounts and other documents relating to the Mandir. The Committee and its employees shall be bound to afford facilities to such officer for inspection.
- (2) The Commissioner may, if he considers it necessary to do so, personally make an oinspection under sub-section (1).

CHAPTER VI—UNAUTHORISEDLY TAKING POSSESSION OF LAND BUILDINGS OR OTHER PROPERTY OF MANDIR

Unauthorised possession by persons of land or building belonging to Mandir.

- 27. (1) Where the Administrator has reason to belive that any person has unauthorisedly taken possession of any land or building belonging to the Mandir or any sacred tank, well, spring or watercourse, or has remained in unauthorised possession thereof, whether the same is situated within or outside the precincts of the Mandir, the Administrator shall report the fact together with relevant particulars to Tahsildar having jurisdiction.
- (2) On being satisfied that there has been an encroachment, the Tahsildar may cause to be served upon the encroacher a notice specifying the particulars of the encroachment and calling on him to show cause before a certain date why an order requiring him to remove the encroachment before a date specified in the notice should not be made. A copy of the notice shall also be sent to the Administrator.
- (3) The notice referred to in sub-section (2) shall be served in such manner as may be prescribed.
- (4) After considering the objections, if any, of the encroacher and reply, if any, of the Administrator received within the period specified in the notice referred to in sub-section (2), the Tahsildar may, by order, if he decides that there has been an encroachment, require the encroacher to remove the encroachment and deliver possession of the land or building encroached upon to the Administrator before a date specified in the order.
- (5) The order of the Tahsildar shall be in writing and shall contain the grounds on which he has passed the order.

28. (1) Any person aggrieved by an order passed by the Tahsildar under Section 27 may, within thirty days from the date of the receipt by him of such order, prefer an appeal in writing to the Sub-Divisional Officer having jurisdiction.

Appeals against orders of Tahsilder under Section 27.

- (2) On such appeal being preferred, the Sub-Divisional Officer may order stay of further proceedings in the matter pending decision on the appeal.
- (3) The Sub-Divisional Officer shall call for the records of the case from the Tahsildar and after giving in notice in the manner prescribed to the appellant and the Administrator and if necessary, after making such further inquiry as he thinks fits, decide the appeal.
- (4) The decision of the Tahsildar shall, subject to the decision of the Sub-Divisional Officer, be final and shall be conclusive evidence of the encroachment:

Provided that nothing in the section shall prevent the encroacher from instituting a suit in the Civil Court having jurisdiction on the ground that the Mandir has no title to the land or building.

(5) Where no appeal against an order of the Tahsildar has been preferred under sub-section (1) or where an appeal has been preferred and dismissed, the Administrator may remove the encroachment and obtain possession of the land or building encroached upon. Any Police Officer whose help is required for this purpose shall be bound to render the necessary help to the Administrator.

CHAPTER VII—MISCELLANEOUS

29. The provisions of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 (No. 41 of 1961) shall not apply to any property vesting in the deity of Shri Ganapati Devta, under Section 4.

Provisions of Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 not to apply.

30. All moneys due to the Mandir under this Act or under any agreement which provides for recovery of any amount payable thereunder as arrear of land revenue shall, on a certificate signed by the Administrator or any person authorised by him in this behalf be recoverable as arrears of land revenue.

Money due to the Mandir recoverable as arrears of land revenue.

31. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer of the State Government or the Committee or any member thereof or the Administrator or any other person acting under the instructions of the Committee or authorised by it, for anything which is in good faith done or intended to be done under his Act or the rules or bye-laws made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

32. Save as otherwise expressly provided in this Act, no notification issued, order passed, decision made, proceedings or action taken or other things done under the provisions of this Act by the State Government or any officer of the State Government or the Committee or any member thereof or the Administrator shall be liable to be questioned in any Court of law and no injuction shall be granted by any Court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

Notifications, orders etc. not to be questioned in court of law.

33. When any land or buildig, whether within or without the limits of the Mandir, is reuqired for the purpose of the Mandir and the Committee is unable to acquire it by agreement, the State Government may, at the request of the Committee proceed to acquire such land or building under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (No. 1 of 1894) and the acquisition of any land or building for Mandir shall be deemed to be a public purpose within the meaning of that Act and on the payment by the Committee of the compensation awarded under the Act and of any other charges incurred by

Acquisition of land.

N

the State Government in connection with the acquisition of the land or building shall vest in the Mandir and be held by it subject to such terms and conditions as may be specified by the State Government.

Power to grant licences.

- 34. (1) Any person who desires to sell flowers, prasad, books and other literature, pictures and any other material approved by the Committee or to look after bicycles, shoes, umbrellas or other personal effect within and around the Mandir premises shall apply to the Administrator for grant of a licence or renewal thereof in such manner and within such period as may be prescribed by bye-laws.
- (2) Every such application shall be accompanied by such fee, as the Committee may, subject to the limits prescribed, specify in this behalf.
- (3) The Administrator may grant or renew the licence or for reasons to be recorded in writing refuse to grant to renew the licence.
- (4) All the licences granted or renewed under this Section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws made thereunder.

Power to cancel or suspend licences.

- 35. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the Administrator may, for reasons to be recorded in writing, suspend or cancel a licence:—
 - (a) if the licence has been obtained through willful misrepresentation or fraud; or
 - (b) if the holder of the licence or any servant or any one acting on his behalf with his express or implied permission, commits a breach of any of the terms and conditions of the licence; or
 - (c) if the holder of the licence has been an insolent;
 - (d) if the holder of the licence is convicted of any offence under this Act or under any law for the time being in force.
- (2) No licence shall be suspended or cancelled under this Section unless a reasonable opportunity to show cause against such suspension or cancellation has been given to the holder of the licence.

Appeal.

- 36. (1) Any person aggrieved by an order of the Administrator under sub-section (3) of Section 34 or sub-section (1) of Section 35 may prefer an appeal to the Collector.
- (2) An appeal under sub-section (1) shall be made within thirty days from the date of receipt of the order in such manner as may be prescribed by bye-laws.
- (3) The order passed by the Collector shall be final and shall not be called in question in any Court of law.

Committee to he in possession of the Mandir and its properties.

- 37. (1) The Committee shall be entitled to take and be in possession of all movable and immovable properties including the funds and jewelleries, records, documents and other assets belonging to the Mandir.
- (2) If in obtaining such possession, the Committee or any person authorised in this behalf by the Committee is resisted or obstructed by any one, it may make a requisition in the prescribed form to the Tahsildar within whose jurisdiction any such property is situated to deliver its possession to the Committee and on receipt of the requisition, the Tahsildar shall hold a summary enquiry into the facts of the case and if satisfied that the resistance or obstruction was without any just cauce, shall comply with the said requisition and in exercising the power under this section the Tahsildar shall be guided by the rules made under this Act.

- (3) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the committee or any person acting under its instruction or authorised by it for anything done in good faith under sub-section (2).
- (4) Nothing contained in this Section shall bar the institution of a suit by any person aggrieved by an order (made thereunder) from establishing his title to the said property.
- (5) All public officers having custody of any record, register, report or other documents relating to the Mandir or any movable or immovable property thereof shall furnish such copies of or extracts from the same, as may be required by the Administrator.

CHAPTER VIII-OFFENCES

38. Whosoever:--

Offences.

- (a) Whose duty is to perform the rituals of the Mandit or "puja archana" of the deity raises any claim or dispute and fails or refuses to perform such duties, knowing or having reasons to believe that the non-performance of the said duties would casue delay in the performance of the rituals or puja archana or inconvenience, harassment to the public or any Section thereof entitled to worship in the Mandir and willfully disobeys or fails to comply with orders of the Administrator directing him to perform his duties without prejudice to the results of a proper adjudication of such claims or disputes, such persons or any other person who abets such conduct; or
- (b) Unauthorisedly performs any rituals, "puja archana" to any deity within the premises of the Mandir; or
- (c) Voluntarily causes obstruction by use of force or otherwise to any "Pujari" or "Sevak" in the due performance of his duties; or
- (d) Willfully does any act whereby the "bhog" or Mandir is defiled; or
- (e) Unauthorisedly exhibit any "thali" or other receptacle in such manner as might reasonably induce any person to place any offering whether in cash or in kind, in such "thali" or other receptacle or solicits money in any other manner whatsoever; or
- (f) Not being authorised by the Committee or the Administrator interferes with the movements of person or with any regulatory measures therefore within the premises of the Mandir; or
- (g) Forcibly enters into any place within the Mandir when such entrance is prohibited under any law or custom or under any lawful order passed by the Committee or the Administrator; or
- (h) Takes inside the premises of the Mandir any article knowing that the taking of such article is prohibited under any law or custom or by any declaration made and published in the prescribed manner by the Committee with due regard to the prevailing custom, public helth, morality or the religious sentiments of the public.

shall without prejudice to any other action taken against him under any other provisions of this Act, on conviction be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

39. No Court shall take cognizance of any such offence under this Act without the previous sanction of the Administrator.

Cognizance of offences.

Ka

Composition of offences.

- 40. (1) The Administrator may accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed an offence under this Act a sum of money not exceeding:—
 - in cases coming under clause (d) of Section 38 double the amount of the value; and
 - (b) in any other cases, the maximum amount of the fine which may be imposed in respect of the offences.

by way of composition of the offence.

(2) On the payment of such sum of money, no further proceedings shall be taken against such person.

Fines to be credited to Mandir-Kosh.

41. All amounts realised on account of fines upon conviction for offence under this Act or as a result of composition shall be credited to the Mandir-Kosh.

Power of State Government to make rules.

- 42. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particulars and without prejudice to the generality of the forgoing power, such rules may provide for all or any of the following matter, namely:—
 - (a) the manner in which nomination of member of the Committee shall be notified under sub-section (4) of Section 6;
 - (b) the manner in which notice shall be served on the encroacher under sub-section (3) of Section 27;
 - (c) the manner in which notice shall be given under sub-section (3) of Section 28;
 - (d) the limits within which the fee for licence may be specified under sub-section (2) of Section 34;
 - (e) the form in which requisition may be made under sub-section (2) of Section 37;
 - (f) the manner in which the declaration shall be made and published under clause (h) of Section 38;
 - (g) any other matter which has to be or may be prescribed.
 - (3) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power of Committee to make bye-laws.

- 43. (1) The Committee may, with the previous approval of the Commissioner, make byelaws for the administration and governance of the Mandir and its endowments not inconsistent with this Act or rules made thereunder or any other law.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such bye-laws may provide for :—
 - (a) the division of duties among the Chairman of the committee and the Secretary;
 - (b) the manner in which decision on any matter may be taken otherwise than at the meetings;
 - (c) the procedure and conduct of business at meetings of the Committee;

- (d) the books and accounts to be kept at the office of the Committee;
- (e) the custody and investment of funds of the Committee;
- (f) the details to be included in or excluded from the budget of the Committee;
- (g) the time and place of its meetings;
- (h) the manner in which notice of its meetings shall be given
- the preservation of order and conduct of proceedings at meetings and the powers which the Chairman may exercise for the purposes of enforcing its decision;
- (j) the manner in which the proceedings of its meeting shall be recorded;
- (k) the persons by whom receipts may be granted for moneys paid to the Committee;
- (1) the maintenance of order inside the "Mandir" and regulating the entry and exit of persons therein or therefrom;
- (m) the manner in which worship shall be performed in the Mandir during 'pravas' 'melas' and 'utsavas';
- (n) the preparation of a list of persons fit for appointment as 'pujari' and 'sevak' of the Mandir after taking into consideration the educational qualifications, religious knowledge, conduct, training and experience and other matters ancillary thereto;
- (o) the procedure for appointment of officers and other employees and terms and conditions of their services under Section 17;
- (p) the manner in which and the period within which application for licence may be made under sub-section (1) of Section 34.
- (q) the manner in which appeal may be prefered under sub-section (2) of Section 36;
- (r) any other matter for which bye-laws are to be made under this Act or it may be necessary to frame bye-laws for effectively implementing the provisions of this Act and the rules made thereunder.
- (3) All bye-laws after they have been confirmed by the Commissioner shall be put up on the notice board of the Mandir.
- 44. (1) if any difficulty arises in giving effect to provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty:

Removal difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiration of one year from the appointed date.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

THE SCHEDULE

[See Section 3 (i)]

- 1. Shri Ganesh Mandir
- Shri Durga Mata Mandir
- 3. Shri Shiv Mandir
- Shri Kshipreshwar Mahadev Mandir
- 5. Shri Krishna Mandir.
- 6. Shri Kaila Mata Mandir
- 7. Shri Bhadva Mata Mandir
- 8. Shri Hingly Devi Mandir
- 9. Shri Chintaman Ganesh Mandir
- 10. Shri Mahakal Mandir ...
- 11. Shri Vedmata Mandir
- 12. Shri Siddh Bhairav Mandir.
- 13. Shri Narsingh Mandir Shri Pipleshwar Mahadev Mandir Shri Seetalamata Mandir
- 14, Shri Jaj Santoshi Mata Mandir
- 15. Shri Hanuman Mandir
- Shri Ganesh Mandir Kaleganesh
- 17. Şhri Shani Mandir
- 18. Shri Sai Baba Mandir
- 19. Shri Venkatesh Mandir
- Shri Lekshmi Narayan Mandir
- 21. Shri Ichchaman Ganesh
- 22. Shri Mahavir Hanuman Mandir
- 23. Shri Dattatraya Mandir
- 24. Shri-Ram Darbar-Mandir
- 25. Shri Radha Krishna Mandir
- 26. Shri Mahalekshmi Mandir.
- 27. Shri Gopeshwar Mahadev Mandir
- 28. Shri Prachand Bhairav Mandir
- 29. Shri Bhairav Mandir
- 30. Shri Surya Mandir
- 31. Shri Gangamata Mandir
- 32. Shri Dakhinee Hanuman Mandir
- 33. Shri Santoshimata Mandir.